

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

क्रमांक/फाकोर्ट/2024/113

दिनांक:- 23/2/24

श्रीमान्

संभागीय आयुक्त महोदय,

भरतपुर

विषय - रामचरण बनाम बाबूलाल मु0नं0 434/23 में मिराल अदालत मातहत
की गिजवाने बाबत।


प्रसंग - आपका पत्रांक 72 दिनांक 30.01.2024

होदय

विषयान्तर्गत अनुरोध है कि प्रांसगिक पत्र द्वारा आपने इस न्यायालय की
जवली मु0नं0 15/2020 उनवान बाबूलाल बनाम भूरमल उर्फ भूरया निर्णय दिनांक 17/11/22
चाही है। जो इस पत्र के साथ श्रीमान् जी को सादर प्रेषित है।

पत्रावली कुल पृष्ठ नय आदेशिका 63(लेखक)

भवदीय


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

1365
Reminder
25/11/24



Form No. XXII
(नियम 129 एवं 156)

मिसल मंगाने की चिट्ठी
न्यायालय संभागीय आयुक्त, भारतपुर

रामचरण बनाम बाबूलाल
नम्बर मुकदमा 434/23 वर्ष
वास्ते -

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

कृपया निम्नलिखित मिसल इस अदालत में भेजें। मेरे विचार में असल मिसल मंगाई जाना वास्तव में आवश्यक है।

*मिसल आलेख 24.04.24 सन् जोकि आगामी तारीख पेशी है, के अन्दर इस अदालत में पहुँच जानी चाहिये।

*नोट - फरीकेंन की इस्तदुआ पर असल मिसल नहीं मंगानी चाहिये, यदि असदिका नकल वाकेआत को बिना साबित करने के लिये मिसल की जरूरत है, साबित करने के लिये काबिल असल शहादत हो

मिसल जो तलब की जाय, उसका विवरण

किस अदालत को	किस्म मुकदमा नम्बर और वर्ष	उनवान	तारीख फैसला	कैफियत
अति० जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर	15/2020	बाबूलाल बनाम भूरमल उर्फ भूरया	17.11.21	

72
30/1/24

रीडर
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

तलब की चिट्ठी प्राप्त होने वाले अफसर का हुक्म :-